



सदन में विज्ञापन खर्च को लेकर तीखी बहस

सीयू कैंपस और विज्ञापन खर्च पर आमने-सामने आए सीएम सुखविंदर सुक्खू व सुधीर शर्मा

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में उस समय माहौल बेहद गरम हो गया जब सीयू धर्मशाला कैंपस निर्माण और विज्ञापन खर्च को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं खड़े होकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया, जबकि भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार की कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं पर तीखे सवाल दोगे। सदन में सवाल-जवाब के दौरान कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिससे पूरे सत्र का केंद्र यही मुद्दा बन गया।



मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में अपनी बात रखते हुए।

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में राज्य सरकार ने ऊर्जा और जल प्रबंधन को लेकर एक अहम और दूरगामी पहल का खाका प्रस्तुत किया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश की पेयजल और सिंचाई योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, जिससे न केवल बिजली पर निर्भरता घटेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। यह पहल ऐसे समय में लाई गई है जब बढ़ते बिजली खर्च और ऊर्जा संकट को लेकर राज्य सरकार स्थायी समाधान को दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

उनके अनुसार प्रदेश में कुल 44 योजनाओं को सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली से जोड़ने की योजना तैयार की गई है। इन योजनाओं के तहत उत्पादित बिजली को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के ग्रिड में भी डाला

वर्तमान सरकार ने तीन वर्षों में विज्ञापनों पर लगभग 22.87 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो पूर्व सरकार की तुलना में कम है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के संसाधनों का उपयोग पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की अनावश्यक फिजूलखर्ची नहीं होने दी जाएगी।

वहीं विपक्ष की ओर से सुधीर शर्मा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि यही राशि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के निर्माण के लिए दी जाती, तो काम शुरू हो सकता था। उन्होंने

पंचायत चुनाव के नियमों में बड़ा बदलाव

दो कार्यकाल तक आरक्षित सीट अब होगी अनारक्षित

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव से जुड़े नियमों में अहम संशोधन करते हुए आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत यदि किसी पंचायत सीट या पद को लगातार दो कार्यकाल तक एक ही आरक्षित श्रेणी के लिए सुरक्षित रखा गया है, तो आगामी चुनाव में उसे अनारक्षित माना जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक भागीदारी को व्यापक बनाने और अधिक से अधिक वर्गों को प्रतिनिधित्व का अवसर देने की दिशा में उठाया गया है।

यह संशोधन ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति अध्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष जैसे सभी प्रमुख पदों पर लागू होगा। पंचायत राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आरक्षण रोस्टर में लंबे समय से बनी

ग्राम पंचायत से जिला परिषद अध्यक्ष तक लागू होगा नियम

असंतुलन की स्थिति को सुधारने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी एक वर्ग के लिए सीट लगातार आरक्षित रहने से अन्य वर्गों के अवसर प्रभावित न हों।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बदलाव के बावजूद कुल आरक्षण प्रतिशत और संवैधानिक सीमा को पूरी तरह बरकरार रखा जाएगा। यदि किसी सीट को अनारक्षित करने से निर्धारित आरक्षण प्रतिशत प्रभावित होता है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। हाल ही में जारी ड्राफ्ट नियमों पर आम जनता से सुझाव मांगे गए थे, लेकिन निर्धारित समय में कोई आपत्ति नहीं मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।



सदन की कार्यवाही के दौरान चर्चा का संचालन करते विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पटानिया।

अनंत ज्ञान

प्रदेश सरकार ने नए पट्टा नियम किए लागू

सामान्य सीमा 40 साल और हिमुडा को मिली 80 साल की विशेष छूट

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि पट्टा नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम 2026 लागू कर दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकार किसी भी सरकारी भूमि को 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं देगी। सरकार का मानना है कि यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने और भूमि उपयोग में संतुलन स्थापित करने की दिशा में अहम साबित होगा। इससे अनियंत्रित और अत्यधिक लंबी अवधि के पट्टों पर रोक लगेगी तथा सरकारी भूमि के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। नए नियमों के तहत शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए हिमुडा (हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) को विशेष छूट

प्रदान की गई है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार हिमुडा अब आवासीय एवं शहरी विकास परियोजनाओं के लिए अधिकतम 80 वर्ष तक भूमि पट्टे पर ले सकेगा। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को स्थिरता मिलेगी और योजनाबद्ध तरीके से शहरीकरण को गति मिलेगी, जिससे प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार संभव होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों में संशोधन से पहले आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन निर्धारित समयवधि के दौरान कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही संशोधित नियम को लागू कर दिया गया। यह निर्णय भविष्य में भूमि आवंटन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हिमाचल में शिक्षकों के हजारों पद स्वीकृत

बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी जानकारी

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य में कला शिक्षकों के 4511 और शारीरिक शिक्षकों के 4447 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कला शिक्षकों के 1322 और शारीरिक शिक्षकों के 2318 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। सरकार का फोकस इन पदों को भरकर स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर है।

प्रक्रिया के तहत कला शिक्षकों के 1098 और शारीरिक शिक्षकों के 1256 पदों को समायोजन के लिए रखा गया है। वहीं, शुद्ध रिक्त पदों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी कि सरकार ने पिछले कुछ समय में भर्ती प्रक्रिया को गति दी है। दिसंबर 2022 से जनवरी 2026 तक कला शिक्षकों के 481 पद तथा शारीरिक शिक्षकों के 3 पद अनुबंध व ट्रेनी आधार पर भर चुके हैं। इसके अलावा कला के 23 और शारीरिक के 870 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, जिससे शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की उपलब्धता लगातार बढ़ रही है।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान यह विषय सामने आने पर रोहित ठाकुर ने सरकार की तरफ से स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संसाधनों के संतुलित उपयोग और भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आने वाले समय में स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम जारी रहेगा।

- राज्य में 4447 शारीरिक व 4511 कला शिक्षक पद स्वीकृत
- 2318 शारीरिक व 1322 कला पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
- खाली पदों को भरने की कवायद तेज
- स्कूलों के पुनर्गठन के चलते कई पद पूल में, सरकार ने संतुलन पर दिया जोर

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को चर्चा का माहौल पूरी तरह गरमाया रहा, जहां एक ओर सरकार ने सीमित संसाधनों के बीच संतुलित और जनहितकारी बजट का दावा किया, वहीं विपक्ष ने इसे विकास विरोधी बताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। प्रश्नकाल के बाद शुरू हुई बजट अनुमानों पर चर्चा में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सड़कों और वित्तीय स्थिति को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने पर्यटन, धार्मिक स्थलों के विकास और यातायात व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि गर्मियों के सीजन में पर्यटकों को आमने सामने करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे और शक्तिपीठों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

बजट से ग्रामीण व्यवस्था होगी मजबूत: विवेक

कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने बजट का बचाव करते हुए कहा कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला दस्तावेज है। सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर उन्हें आर्थिक सुखा देने का प्रयास किया है। विवेक शर्मा ने दावा किया कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और प्रदेश में संतुलित विकास की दिशा तय की गई है।

विकास कार्य ठप पड़ने की आशंका: जनकराज

भाजपा विधायक डॉ. जनकराज ने बजट को विकास रोकेने वाला बताते हुए कहा कि प्रदेश में अब सड़कों, बिजली और बुनियादी ढांचे के काम ठप पड़ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास के बजट में कटौती की गई है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा।

सड़कों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं: विनोद

भाजपा विधायक विनोद कुमार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के बजट को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि सड़कों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र से बड़ी राशि लाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़कें सुधारने के लिए बजट शून्य नजर आता है।



मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय और कम छात्र संख्या के कारण कई पदों को पूल में रखा गया है, ताकि जरूरत के अनुसार संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। इस

प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान टूटफुक जाम वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि पर्यटकों को परेशानी न हो। इसके अलावा सरकार जस्टिड हो स्केप नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और थानों में पुराने वाहनों और उपकरणों को व्यवस्थित तरीके से हटाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों के विकास के लिए छह माह के भीतर मास्टर प्लान तैयार करने की बात भी कही गई, जिससे धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा मिल सके।

सरकार संसाधनों की कमी का हवाला दे रही और विधायक जनता के हित पर दे रहे जोर

घमासान सदन में विपक्ष ने उठाए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल, वित्तीय नीति पर तीखी बहस

विधायक निधि में कटौती पर बजट सत्र में हंगामा

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन सदन का माहौल उस समय गरमा गया जब विधायक क्षेत्र विकास निधि में कटौती का मुद्दा प्रमुखता से उभरा। चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के विधायकों ने अपने-अपने तर्क रखते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। खास तौर पर यह बात सामने आई कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों में जनहित की योजनाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसी संदर्भ में यह आवाज बुलंद हुई कि यदि आवश्यक हो तो वेतन में कटौती का क्षेत्र जा सकता है, लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि को समाप्त या कम करना जनता के विकास कार्यों को बाधित करेगा।

बजट में दूरदर्शिता का अभाव: रणधीर शर्मा

बजट पर चर्चा करते हुए विपक्ष के विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है और इसमें ठोस आर्थिक सुधारों की कमी साफ दिख गई है। उनके अनुसार सरकार ने न तो फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की स्पष्ट योजना दी है और न ही भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस उपाय सामने रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन भी नहीं दिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से विधायक निधि में कटौती का विरोध करते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर जनता के विकास कार्यों पर असर डालेगा।

संसाधनों की कमी, संतुलन की चुनौती: गौड़

वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र से राजस्व घाट अनुदान बढ़ होने के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ है। उन्होंने माना कि ऐसे में सरकार को संतुलन बनाते हुए निर्णय लेने पड़ रहे हैं। गौड़ ने मुख्यमंत्री द्वारा वेतन में कटौती के निर्णय को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे एक अच्छा संदेश गया है। साथ ही उन्होंने यह भी चिंता जताई कि गैस सिलिंडर की कमी से पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए अलग कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सबेरे उपादकों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि अत्यांत शुल्क में कमी से स्थानीय बाजारों को नुकसान होगा।

पर्यटन सीजन के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल किया जाएगा तैनात: सुखविंदर सुक्खू

प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान टूटफुक जाम वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि पर्यटकों को परेशानी न हो। इसके अलावा सरकार जस्टिड हो स्केप नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और थानों में पुराने वाहनों और उपकरणों को व्यवस्थित तरीके से हटाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों के विकास के लिए छह माह के भीतर मास्टर प्लान तैयार करने की बात भी कही गई, जिससे धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा मिल सके।

सरकार संसाधनों की कमी का हवाला दे रही और विधायक जनता के हित पर दे रहे जोर

पूरे दिन की कार्यवाही में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रही है। विधायक निधि का मुद्दा इसी संतुलन का प्रतीक बनकर उभरा, जहां एक ओर सरकार संसाधनों की कमी का हवाला दे रही है, वहीं विपक्ष और कई विधायक इसे जनता के हितों से जोड़कर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इस विषय पर और तीखी बहस होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे बजट सत्र और अधिक रोचक और निर्णायक बन सकता है।

44 परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ने की तैयारी

चरणबद्ध तरीके से होगी सौर ऊर्जा से संचालित

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में राज्य सरकार ने ऊर्जा और जल प्रबंधन को लेकर एक अहम और दूरगामी पहल का खाका प्रस्तुत किया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश की पेयजल और सिंचाई योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, जिससे न केवल बिजली पर निर्भरता घटेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। यह पहल ऐसे समय में लाई गई है जब बढ़ते बिजली खर्च और ऊर्जा संकट को लेकर राज्य सरकार स्थायी समाधान को दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

उनके अनुसार प्रदेश में कुल 44 योजनाओं को सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली से जोड़ने की योजना तैयार की गई है। इन योजनाओं के तहत उत्पादित बिजली को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के ग्रिड में भी डाला



मुकेश अग्निहोत्री बोले- आने वाले समय में होगा योजना का विस्तार

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में इस योजना का विस्तार किया जाएगा और दुर्गम क्षेत्रों की योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि हर क्षेत्र तक सस्ती और विश्वसनीय जल आपूर्ति पहुंच सके।

जाएगा, जिससे अतिरिक्त ऊर्जा का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। जल शक्ति विभाग और हिम ऊर्जा विभाग के संयुक्त प्रयास से इन परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे विभाग के बिजली बिलों में भारी कमी आएगी और योजनाओं की संचालन लागत भी घटेगी। इस दिशा में सिरमौर जिले के पांढरा साहिब क्षेत्र में पापलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम शुरू कर दिया गया है, जहां 10 पंचायतों के 21 गांवों में 260 हैंडपंपों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। इन हैंडपंपों के माध्यम से जल को आधुनिक

बंधरण टैंकों तक पहुंचाया जा रहा है जिससे ग्रामीणों को नियमित और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। प्रत्येक हैंडपंप से लगभग 30 से 40 लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे यह योजना ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि सौर ऊर्जा आधारित यह मॉडल भविष्य में पूरे प्रदेश के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। इससे जहां एक ओर बिजली की खपत में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी बल मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पटानिया ने छात्रों को समझाई संसदीय प्रणाली की बारीकियां

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। शिमला में ऑनलाइन हाउस स्कूल लक्कड़ बाजार तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र-छात्राओं ने विधान सभा सचिवालय पहुंचकर कार्यवाही को नजदीक से देखा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की गहराई को समझा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया से उनकी मुलाकात हुई, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को संसदीय प्रणाली, लोकसभा, राज्यसभा और कानून निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और उन्होंने राज्य सभा के गठन, सदस्यों के चुनाव और कार्यकाल की जानकारी भी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में संसदीय प्रणाली को लेकर अच्छी समझ विकसित हो रही है, जिसका उदाहरण बाल सत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी से देखने को मिला। इस अवसर पर उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पटानिया भी मौजूद रहे।

विपरीत हालात में भी बेहतरीन बजट: मोहनलाल

कांग्रेस विधायक मोहनलाल ब्रावटा ने भी बजट को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पेश किया गया उल्कृत प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद मुख्यमंत्री ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिसकी विपक्ष ने कल्पना भी नहीं की थी।

विधायक निधि कटौती से जनता प्रभावित: राणा

भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने विधायक निधि में कटौती और कर्मचारियों के वेतन पर असर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए यह निधि महत्वपूर्ण होती है और इसमें कमी आने से आम जनता प्रभावित होगी। उन्होंने सरकार से अपील की कि योजनाएं बनाते समय जनहित को प्राथमिकता दी जाए।

सीमित संसाधनों में बेहतर बजट: संजय अवस्थी

कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने केंद्र सरकार द्वारा आरबीजे में कटौती को बजट आकर घटने का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने पिछले वर्षों में कई आपदाएं झेली हैं, लेकिन सीमित संसाधनों में भी बेहतर बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहने का अनुमान है।



विधानसभा परिसर में विद्यार्थियों के साथ विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया।

अनंत ज्ञान

लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़े राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्रों को लोकतंत्र की संरचना समझाते हुए कहा कि लोक सभा और विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर हैं, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं।

लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़े राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्रों को लोकतंत्र की संरचना समझाते हुए कहा कि लोक सभा और विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर हैं, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं।

